सामाजिक वानिकी एवं पर्यावरण संरक्षण

वानिकी

सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक रूप में वनों की संरचना, प्रबन्ध तथा उनके उत्पादों का उचित उपयोग वानिकी है।'

स्पष्ट है कि वानिकी की परिधि में वनों की व्यवस्था, उचित देखभाल और उनकी साज–संवार सभी सम्मिलित हैं। अब अलग–अलग क्षेत्रों में कार्य की दृष्टि से इन्हें अलग–अलग नाम दे दिये गये हैं। जैसे–

1. कृषि वानिकी 2. फसलों के उत्पाद के क्षेत्र में वानिकी

वानिकी को अलग–अलग स्थान विशेष पर कार्य सम्पन्न करने के प्रकार से भी अलग–अलग नाम दे दिये हैं।

1. ग्रामीण वानिकी– इसमें ग्रामीण समाज की भूमि तथा गाँव के अन्दर निवासियों के भूखण्डों पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहन दिया जाता है।

2. नगरीय वानिकी– इसमें शहरी क्षेत्र में वनों के विकास, विस्तार और व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाता है।

'कृषि वानिकी' उपयोग का एक स्थायी तन्त्र है जो स्थायी रूप में खाद्यान्न फसलें उगाकर, अधिकांशतः वृक्ष रूपी फसलें और वन्य पौधों को, पशु प्रजनन के द्वारा मिट्टी के कुल उत्पादन में वृद्धि करता है। इस तन्त्र का प्रबन्ध तथा नियोजन उन लोगों की संस्कृति के अनुरूप होना चाहिए जो इससे सम्बन्धित हों तथा उपलब्ध श्रमिकों का कुशलतापूर्वक उपयोग होना चाहिए।'

किंग महोदय ने 1979 में कृषि वानिकी को परिभाषित करते हुए लिखा है 'वानिकी सतत् भूमि प्रबन्ध का वह रूप है जिसमें उत्पादक फसलें और वन्य पादप या पशु या दोनों साथ–साथ परस्पर जुड़े हुए रूप में उगाकर भूमि की उत्पादकता में वृद्धि की जाती है तथा स्थानीय लोगों की संस्कृति में प्रचलित प्रबन्ध विधियों का उपयोग किया जाता है।

इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि 'कृषि वानिकी' ऐसी प्रणाली है जिसकी रूपरेखा खाद्यान्न फसलें तथा लकड़ी एक साथ उगाने के लिए तैयार की जाती है ताकि पारिस्थितिकी तन्त्र को सुरक्षित रखा जा सके।

'सामाजिक वानिकी' समाज की सेवा के उद्देश्य से किये जाने वाले वनीकरण के कार्य हैं। इसे समाजसेवा वानिकी के नाम से भी जाना जाता है।

इसका मुख्य उद्देश्य लोगों की ईंधन, खाद, पशु–चराई, लकड़ी एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना तथा पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से वृहद वनारोपण किया जाना है। इसके पीछे एक भावना भी अन्तर्निहित है कि किसी प्रकार भारी संख्या में वृक्षारोपण भी हो और उसका आर्थिक लाभ भी जन साधारण को मिले। अतः अनेक प्रकार के कार्य सुझाये गये हैं। गाँवों की चौपाल, स्कूल के प्रांगण, अस्पताल, पंचायत समिति एवं अन्य कार्यालयों के अहाते, खेत–मेड, सड़क के दोनों ओर, रेल लाइनों के दोनों ओर जहाँ–जहाँ ठीक लगे वहाँ सब ओर वृक्ष की वृक्ष लगें, यही सामाजिक वानिकी की भावना है।

सामाजिक वानिकी आज कोई नई बात नहीं है। भारतीय ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ी यह एक अति प्राचीन विधि है। इसके अन्तर्गत वे सभी योजनाएँ समाहित हो जाती हैं, जिनके अधीन सामाजिक वन से जनता अपना भावात्मक सम्बन्ध स्थापित कर लेती है और इस हेतु वृक्षारोपण एवं पौधशालाओं की स्थापना का सत्कार्य परम्परागत ढंग से करती आई है। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के द्वारा जनता को पशुओं के लिए चारा, ईंधन के लिए लकड़ी तथा जीने के लिए ऑक्सीजन तक प्राप्त हो सकती है।

सामाजिक वानिकी की आवश्यकता

सामाजिक वानिकी के महत्त्व एवं आवश्यकता में निम्नांकित बिन्दु हैं–

1. जनता चाहे ग्रामीण हो या कस्बों की, वन उपज से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति स्थाई रूप से एवं सरल ढंग से हो सके।

2. ग्रामीण एवं शहरी आबादी वाले क्षेत्रों के भीतर एवं सीमाओं पर वन क्षेत्रों की स्थापना एवं विकास।

3. पेड़ न काटने देना, ताकि भूमि के कटाव को रोका जा सके।

4. गरीब और भूमिहीन किसानों को सामाजिक वानिकी में कार्यरत रहने से रोजगार मिलेगा, उनकी बेरोजगारी समाप्त होगी और शहरीकरण भी कम होगा।

5. आर्थिक लाभ पहुँचा कर उनके जीवनस्तर को ऊँचा उठाने में मदद करना।

6. ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पारिस्थितिकी संतुलन को उन्नत करना।

7. जब पेड़ नहीं कटेंगे, गोबर की खाद मिलने लगेगी, भूमि का कटाव नहीं होगा तो इसस पर्यावरण भी संतुलित रहेगा। पर्यावरण में संतुलन स्थापित

होने पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक, सामाजिक, प्राकृतिक एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी लाभ प्राप्त होंगे।

8. आजकल बढ़ रही शहरीकरण की प्रवृत्ति पर नियन्त्रण स्थापित करने में मदद होना।

9. सामाजिक वानिकी से प्राप्त उपजों को बेचकर होने वाले आर्थिक लाभ से ग्रामीणों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने में मदद करना।

सामाजिक वानिकी के प्रमुख कार्य

एम. सीताराम राव ने अपनी पुस्तक 'सोशल फोरेस्ट्री' में सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत कार्यों का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार किया है–

1. खेतों पर वायु अवरोध लगाना।
2. सुरक्षा पट्टियाँ तैयार करना।
3. सड़कों के दोनों और सघन और व्यापक वृक्षावली लगाना।
4. गाँवों में सामूहिक स्थानों तथा बंजर भूमि पर वृक्षारोपण।
5. रेल लाइनों के दोनों ओर तथा नहरों के किनारों पर वृक्षारोपण।
6. बड़े–बड़े कार्यों पर वृक्षों के झुण्ड के प्रकार से वृक्षारोपण।
7. गाँवों के आस–पास तथा राज्य–मार्गों पर यात्रियों के विश्राम स्थल बनाने हेतु वृक्षारोपण।
8. सिंचाई के लिये बनाये गये तालाब तथा बाँधों के पास घना वृक्षारोपण।
9. दलदली भूमि को सूखा कर उसे उपयोग में लाने हेतु वृक्षारोपण।
10. नदियों और झरनों के सहारे–सहारे वृक्षारोपण।
11. भूमि क्षरण की सम्भावना वाले क्षेत्रों में वृक्षारोपण।
12. भूमि संरक्षण उपाय हेतु वृक्षारोपण।
13. पर्यावरण सन्तुलन व उसे स्वच्छ बनाने हेतु नगरों के प्रमुख स्थानों पर वृक्षारोपण।
14. सिंचाई योजनाओं के कमाण्ड एरिया में वृक्षारोपण।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि वृक्षारोपण अनेक स्थानों पर अलग–अलग उद्देश्य तथा आवश्यकताओं के अनुकूल किये जाने का कार्य सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत आता है।

यही नहीं, बल्कि जन–साधारण की जानकारी हेतु तथा उनमें रुचि बढाने हेतु किसानों के लिए 'सामाजिक वानिकी' नाम से पुस्तिका का प्रकाशन कर उसका वृहद् प्रचार किया गया। इस पुस्तिका में सामान्य चर्चा की बातों के अलावा निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत विस्तृत विवरण दिया गया है–

1. वृक्ष कैसे–कैसे और कहाँ–कहाँ।
2. बहुउपयोगी सामान्य वृक्षों की जानकारी और उपयोगिताएँ।
3. पेड़ों की खेती से अनुमानिक लाभ।

जनहित में सुविधा के लिए वृक्ष लगाने के स्थानों का एक रेखांकित चार्ट सामाजिक वानिकी निदेशालय ने निम्न प्रकार दिया है–

वृक्ष लगाने के स्थान

- नगर, उपनगर
  - सार्वजनिक स्थान
    - सड़कों के किनारे
    - नदी, तालाब, नहर की पाल व घाट
    - रेल के प्लेटफॉर्म और स्टेशन की सड़कें
    - प्राचीन इमारतें, मकबरे, मन्दिर, दरगाह, श्मशान, उपाश्रय
    - ऐतिहासिक किले, महल, समाधि स्थल, मस्जिद, कब्रिस्तान, गिरजाघर
    - आधुनिक इमारतें
      - होटल
      - डाक बंगले
      - अस्पताल
      - स्कूल, कॉलेज, छात्रावास आदि के चारों ओर
      - कचहरी, बैंक, अदालतों के आस–पास
      - नगरपालिका, जिला परिषद व अन्य सरकारी कार्यालयों के आस–पास
  - अपने–अपने घरों के पिछवाड़े, आँगन या इधर–उधर चारों ओर
- गाँव
  - घर के बाड़े में
  - कुएँ या अन्यत्र, जलाशय के पास
  - देवालय, मन्दिर या मस्जिद
  - पितृस्थान, श्मशान कब्रिस्तान
  - खेत–खलिहान, मेड़
  - पंचायतघर
  - गाँव के पास
  - पड़त भूमि गड़ार
  - राजपथ

वृक्षारोपण कार्यक्रम में पौधों का विवरण

फलों के लिये	आम, जामुन, शहतूत, अनार, आँवला, नींबू, लसोड़ा, करौंदा, अमरुद।
छाया के लिये	बड़ पीपल, नीम, सिरस, शीशम, महुआ, अर्जुन।
शोभा के लिये	अमलतास, कचनार, जैकोरेण्डा, सिल्वर ओ, गुलमाहर केसिया, स्थमिया अशोक।
फूलों के लिये	उपर्युक्त के अलावा गेंदा, पलाश, केसिया, रेनिजीरा, टेकोमा, बिगनोनिया, बोगनविलिया, रेल्वे क्रीपर।
चारे के लिये	खेजड़ी, बबूल, सुबुबूल, अरडू, बेर, सहजना, पीपल।
जलाऊ व इमारती लकड़ी के लिए	बबूल, खेजड़ी, विलायती बबूल, जंगल जलेबी, चुरैल, इजरायली बबूल, रोहिड़ा, यूकेलिप्टस, सिरस, सागवान, बाँस।

सामाजिक वानिकी योजना से लाभ

सामाजिक वानिकी से निम्न लाभ हैं–

1. ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी।
2. पर्यावरण में सुधार आयेगा।
3. प्रदूषण में कमी आयेगी।
4. जन साधारण की मूलभूत आवश्यकताओं, ईंधन, लकड़ी खाद एवं अन्य वस्तुएँ आदि की पूर्ति हो सकेगी।
5. उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति हो पायेगी।
6. शहरीकरण एवं औद्योगिकीकरण के कारण शहरों में बढ़ रही जनसंख्या का दबाव कम होगा।
7. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में वनों का विकास होगा।
8. वन क्षेत्रों के विकास से सुरक्षित एवं आरक्षित वनों पर दबाव कम होगा, अतः सुरक्षित रह सकेंगे।
9. पेड़ों के अभाव में कटकर बहने वाली उपजाऊ मिट्टी को रोकने में सफलता मिलेगी, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखा जा सकेगा।
10. विकास योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित बांधों, तालाबों, नहरों, सड़कों, रेल्वे आदि को भूमि कटाव से होने वाले नुकसान से बचाया जा सकेगा।
11. आर्द्रता का संरक्षण होगा।

12. आमोद–प्रमोद स्थलों का विकास होगा।
13. रेगिस्तान के विस्तार को रोका जा सकेगा।
14. मरुस्थल के टीले हवा में उड़कर खेतों की उर्वरा भूमि को रेत के फैलाव के कारण अनुपयोगी एवं बंजर बना देते हैं, उससे सुरक्षा हो सकेगी।
15. ऊर्जा के वैकल्पिक साधन गोबर को गैस तथा खाद के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा।

अतः हम कह सकते हैं कि सफल सामाजिक वानिकी अभियान ही 'पर्यावरण संरक्षण' में प्रेरणादायक एवं लाभकारी भूमिका निभा सकता है।

❑❑